राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर

क्रमांकः- एफ. 12( ) स्था/ भूजल/2019/ 255 जोधपुर, दिनांकः- 21.05.2019

-:: परिपत्र ::-

विषयः- स्वैच्छा से जानबूझकर अनुपस्थित रहने बाबत।

विभाग के ध्यान मे आया है कि अनेक बार राजसेवकगण बिना अवकाश स्वीकृत कराये ही, अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहते है, और बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ते है, जो एक गम्भीर दुराचरण एवं अनुशासनहीनता है। जिसे राज्य सरकार ने गम्भीरता से लिया है, तथा कार्मिक विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देश एवं परिपत्र क्रमांक प.9(2)(13)कार्मिक/क-3/जांच/2007 दिनांक 07.11.2017 के द्वारा पुन: दिशा निर्देश जारी किये गये है।

अनेक बार देखने मे आया है कि स्वेच्छापूर्वक लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे राजसेवकगण के विरूद्व भी, यथा समय समुचित कार्यवाही अमल मे नही लाये जाने के कारण, उनकी अनुपस्थिति अवधि बढ़ती जाती है, जिससे राजकीय कार्य मे बाधा उत्पन्न होती है, जनहित/सार्वजनिक हित बाधित होता है और जनसाधारण को असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे राजसेवकगण के अनावश्यक रूप से केडर स्ट्रेन्थ मे बने रहने से अन्य राजसेवकगण के पदौन्नति अवसर प्रभावित होते है।

राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 86 (1)(2) के अन्तर्गत निम्न प्रकार से अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लायें:

1. जब कर्मचारी बगैर आवेदन दिये स्वेच्छा से कार्यालय से अनुपस्थित रहे ।
2. जब अधिकारी/कर्मचारी अवकाश हेतु आवेदन करे तथा ऐसा आवेदन स्वीकृत कर्ता द्वारा अस्वीकृत करने पर भी वह अवकाश पर चला जाये।
3. अधिकारी/कर्मचारी अवका\u0936ा स्वीकृत करवाकर अवकाश पर प्रस्थान कर जाये और अवकाश की समाप्ति पर बगैर अवकाश बढ़ाये कर्तव्य से अनुपस्थित रहे।

उपरोक्त दुराचरण के लिये अधिकारी/ कर्मचारी की ऐसी अनुपस्थिति को "सेवा मे व्यवधान"( Interruption in service) माना जायेगा और पिछले सेवाकाल को जब्त (Forfit) किया जा सकेगा।

पाँच वर्ष से अधिक अवधि से निरन्तर स्वेच्छा पूर्वक अनुपस्थित चले आ रहे राजसेवकगण के संबध मे कार्यवाही करने हेतु राजस्थान सेवा नियम 1951 के के नियम 86 (4) मे निम्नानुसार प्रावधान है:-

"Unless the State Government in view of the special circumstances of the case, determines otherwise a State Government employee who remains absent from duty for a continuous period exceeding five years other than on foreign service, whether with or without leave, shall be deemed to have resigned from service"

तदनुसार सभी नियुक्ति प्राधिकारियो/कार्यालयध्यक्षों का दायित्व है कि उनके अधीनस्थ कार्यरत एवं पाँच वर्ष से अधिक अवधि से बिना अवकाश स्वीकृत कराये, (स्वेच्छा पूर्वक) निरन्तर कर्तव्य से अनुपस्थित चल रहे है।

Upload on Web Site
22/5/19

राजसेवकगण के विरूद्ध, वे उक्त प्रावधानानुसार कार्यवाही अमल में लाये साथ ही, ऐसे अनुपस्थित प्रकरण जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 86(4) के अन्तर्गत नही आते है, उनके संबंध मे राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही सम्पादित की जाये।

इसकी कठोरता से पालना करें अन्यथा व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हुये नियन्त्रण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी।

(सूरजभान सिंह)
मुख्य अभियन्ता,
भू जल विभाग,जोधपुर

क्रमांक:- एफ. 12( ) स्था/ भूजल/2019/ 255 जोधपुर, दिनांक:- 21.05.2019

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. श्रीमान् निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, भू जल विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान् वरिष्ठ शासन उप सचिव भू जल विभाग,शासन सचिवालय जयपुर।
3. तकनिकी सहायक प्रथम/द्वितीय कृते मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग,जोधपुर।
4. समस्त कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी, भू जल विभाग,----------को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियो/ कर्मचारियो से उपरोक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।
5. नोडल अधिकारी (वैबसाईट) एवं वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक (DSPC), भू जल विभाग, जोधपुर को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. निजी सचिव कृते मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर
7. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय।
8. समस्त शाखा प्रभारी, (मुख्यालय)।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता,
भू जल विभाग,जोधपुर